न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 159 / 2025

1. हरिराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति सुथार निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज० ।

प्रार्थी

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

अन्तर्गत धारा कालोनाईजेशन एक्ट 8(2).

उपस्थिति :–श्री सुभाषगर्ग अधिवक्ता प्रार्थी

श्री राजपैरोकार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 30/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी का पंजीबद्व व प्रमाणिक पता वही है जो कि वाद के शीर्षक में अंकित है प्रार्थी के नाम से चक 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 86 / 59 के प०न० 180 / 357 मु0 32 किलानं0 17, 18, 19, 21 / 2 / 202, 22 / 2 / .202, 23 / 114 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। चक नं0 2 आरपी सीएडी सहित के प0न0 180 / 357 मुं0 32 किलानं0 21 / 1 / 051 है०, 22 / 1 / .051 है० गै०मु० रास्ता दर्ज है किलानं0 21–22 के चिपते ही नहर बनी हुई है किलानं0 21–22 मे किसी भी काश्तकार को रास्ता की आवश्यकता नही है तथा काफी अर्सा से बन्द पड़ा है क्योकि किलानं0 21,22 में गै०मु० रास्ता के आगे किसी भी काश्तकार की कृषि भूमि नही है तथा ना ही उक्त रास्ता मौका पर चालू है और ना ही उक्त रास्ता को उपयोग में लिया गया है। चक नं0 2 आरपी सीएडी सहित के प0न0 180 / 357 मु0 32 किलानं0 21 / 1 / 051 है0, 22 / 1 / 051 है० गै०मु० रास्ता दर्ज है किलानं0 21 22 के चिपते ही नहर है तथा आगे किसी भी काश्तकार को किलानं0 21, 22 मे से रास्ता की आवश्यकता नही है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्ता को प्रार्थी निरस्त करवाना चाहता है व रास्ता की भूमि प्रार्थी अपने नाम से खाता मे अंकित करवाना चाहता है। गै०मु० रास्ता निरस्त होने से राज्य सरकार की आय में वृद्धि होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै०मु० रास्ता जो वजूद में नही है, को निरस्त कर गै०मु० रास्ता की भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज करवा देवे तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा। बस यही प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 2 आरपी सीएडी सहित के प०न० 180 / 357 मु0 32 किलानं0 21 / 1 / 051 है०, 22 / 1 / 051 है० गै०मु० रास्ता को निरस्त कर उक्त गै०मु० रास्ता की भूमि को खातेदारी दर्ज की जाकर प्रार्थी के खाता में खातेदारी अंकित किये जाने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गया मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त रकबा चक 2आरपी सीएडी सहित प0न0 180 / 357 (32) कि0न0 21 / 1 / 0.051 है0, 22 / 1 / 0.051 है0 गै०मु० रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान में मौके पर उक्त रकबे पर प्रार्थी द्वारा फसल काश्त है। उक्त रास्ता फसल काश्त होने के कारण बंद है व रास्ते की भूमि पर प्रार्थी द्वारा फसल काश्त की गई है। मौका स्थिति की दैनिक डायरी प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त रास्ते के दोनो तरफ प्रार्थी की कृषि भूमि है व उक्त रास्ते चक 2आरपी सीएडी सहित प०न० 180 / 357 (32) कि०न० 21, 22 की पूर्व दिशा में (सीमापर) इंदिरा गांधी नहर की सीमा (नहर लगती है) तथा नहर की दुसरी (विपरीत) सीमा पर कोई रास्ता नहीं लगता है। नहर पर आवागमन हेतु कोई पुल / पुलिया नहीं बना हैं । उक्त रास्ता चक 2आरपी सीएडी सहित के प0न0 180 / 357 (32) के कि०न० 21, 22 की सीमा तक सीमित है। उक्त रास्ते के अंतिम छोर कि०न० 21,22 के दोनों तरफ प्रार्थी की कृषि भूमि है उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन मुताबिक कोलोनाइजेशन विभाग पर्चा खतौनी चक 2 आरपी के समय से दर्ज है। उक्त रास्ते से कोई लाभान्वित / प्रभावित

काश्तकार नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए मुकदमा का निस्तारण किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत प्रकरण में मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा से जाहिर होता है कि मौके पर रास्ते से किसी भी प्रकार का आवागमन नही हो रहा है रास्ते के दोनो तरफ प्रार्थी की ही कृषि भूमि है इस रास्ते से अन्य कोई प्रभावित पक्षकार भी नही है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर उक्त गै0मु0 रास्ते का उपयोग न होने के कारण उक्त रास्ते को आराजीराज दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है व चक न0 2 आरपी सीएडी सहित के प0न0 180/357 मु0 32 किला न0 21/1/.051 है0, 22/1/.051 है0 गै0मु0 रास्ते का अंकन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।